NHB (ND)/ROD/HFC/CIRC-01/2021-22
July 28, 2021

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

All Eligible Housing Finance Companies

Madam/ Dear Sir,

Quarterly Certificate on Adverse Balance
Refinance Circular No. 01/2021-22

This is with reference to NHB Circular no. CIRC-03/2020-21 dated September 10, 2020.

2. In terms of the above circular, HFCs were advised to remit the quarterly adverse balance within 15 days after close of the quarter with at least 2 days prior intimation of remittance to NHB. However, it has been observed that HFCs are not complying with the above timelines and in many instances the 2 days prior intimation is not being followed. Further, in some instances, the adverse balance amount has also been remitted after working hours of the treasury.

3. Accordingly, it is reiterated that all HFCs should submit and remit the Adverse Balance Certificate and amount within the stipulated timelines. Further, the money should be remitted within the working hours of the treasury.

4. Other stipulations as mentioned in the earlier circulars remain unchanged.

Yours faithfully,

Vishal Goyal
General Manager
Refinance Operations Department

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई मेल : ho@nhb.org.in
Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/आ.वि.कं./सीआईआरसी-01/2021-22
28 जुलाई, 2021

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियां

महोदया/ महोदय,

प्रतिकूल शेष राशि पर तिमाही प्रमाणपत्र
पुनर्वित्त परिपत्र सं. 01/2021-22

कृपया दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के रा.आ.बैंक परिपत्र सं. सीआईआरसी-03/2020-21 का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक को कम से कम 2 दिन पूर्व प्रेषण की सूचना देकर तिमाही की समाप्ति के पश्चात 15 दिनों के भीतर तिमाही प्रतिकूल शेष राशि प्रेषित करें। हालांकि, यह अवलोकन किया गया है कि आवास वित्त कंपनियां उपर्युक्त समय-सीमा का अनुपालन नहीं कर रही हैं एवं कई मामलों में 2 दिन पूर्व प्रेषण की सूचना का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, प्रतिकूल शेष राशि को ट्रेजरी के कार्य घंटों के पश्चात भी प्रेषित किया गया है।

3. तदनुसार, पुन: यह सूचित किया जाता है कि सभी आवास वित्त कंपनियां निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिकूल शेष राशि प्रमाणपत्र एवं राशि जमा तथा प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त, राशि को ट्रेजरी के कार्य घंटों के भीतर प्रेषित करें।

4. पूर्व परिपत्रों में उल्लिखित अन्य शर्तें समान रहेंगी।

भवदीय,

विशाल गोयल
महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन विभाग